

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30 / 6 / 2008

संख्या- 212-46/08-1113(2) पटना, दिनांक स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी के अभ्यावेदन के आधार पर निम्नांकित चिकित्सको के नाम के समक्ष स्तम्भ- 5 में अंकित जिलान्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	पदस्थापित जिला	नव पदस्थापित जिला
1	2	3	4	5
1	डा0 विमल प्रसाद सिंह	Sheikhpura	नालन्दा	नवादा
2	डा0 मुर्तुजा अंसारी		नालन्दा	सीतामढ़ी
3	डा0 किशोर कुमार मिश्र	Madhubani	नालन्दा	दरभंगा
4	डा0 सुरेन्द्र चौधरी	Jehanabad	नालन्दा	गया
5	डा0 सत्येन्द्र कुमार गुप्ता	Saran	नालन्दा	वैशाली
6	डा0 चन्द्र भूषण नारायण	Saran	नालन्दा	नवादा
7	डा0 अनिल कुमार सिंह	Patna	नालन्दा	भोजपुर
8	डा0 नृपेन्द्र प्रसाद	Munger	नालन्दा	पटना
9	डा0 नवल किशोर	Patna	नालन्दा	भोजपुर
10	डा0 महेन्द्र कुमार शर्मा	Jehanabad	नालन्दा	पटना
11	डा0 सत्येन्द्र नाथ सिन्हा	Rohtash	नालन्दा	श्रम विभाग
12	डा0 सच्चिदानन्द सिंह	Rohtash	नालन्दा	बक्सर
13	डा0 उदय शंकर प्रसाद	Kodarma	नालन्दा	वैशाली
14	डा0 अनिल कुमार	Patna	नालन्दा	बक्सर
15	डा0 अखिलेश कुमार मोहन	Jehanabad	नालन्दा	नवादा
16	डा0 राजीव कुमार	Patna	नालन्दा	भोजपुर
17	डा0 भोला भाई	Nawada	नालन्दा	गया
18	डा0 विजय कुमार	Patna	नालन्दा	समस्तीपुर
19	डा0 (श्रीमती) मधु सिन्हा	Bhagalpur	नालन्दा	नवादा
20	डा0 चन्द्र शेखर प्रसाद चौधरी	Patna	नालन्दा	गया
21	डा0 भारती लता सिन्हा	Buxar	नालन्दा	पटना
22	डा0 अंजनी कुमार सिन्हा	Rohtash	नालन्दा	जमुई
23	डा0 ओम प्रकाश	Patna	नालन्दा	श्रम विभाग
24	डा0 अनिल कुमार	Bhojpur	नालन्दा	कैमूर

2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओ जिलो को सौपी गयी है उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेंगी ।

3. सभी स्थानान्तरित चिकित्सक अपने पदस्थापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेंगे । तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदस्थापन के स्थान की अधिसूचना प्राप्त करेंगे और अधिसूचित स्थान पर योगदान करेंगे । अगर चिकित्सक के नाम की स्पेलिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी स्पेलिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर अधिसूचित स्थान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी अपने स्तर ही दें देंगे ।

4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।

5. सभी संबंधित नियंत्रि पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरामित कर देंगे ।

6. चूँकि इनका पदस्थापन अभ्यावेदन के आधार पर हो रहा है इसलिए यात्रा भत्ता नहीं देय होगा ।

7. संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्तों से अनुरोध होगा कि पदस्थापन के जिले के अन्तर्गत रिक्तियों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन करें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक 30.6.2008

ज्ञापांक - 2/टी-टी-44-2008-1113(2)

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सचिव, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी संबंधित सिविल सर्जन/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - महानिरीक्षक, अभियोजन, बिहार, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संयुक्त सचिव के निजी सहायक/ उप सचिव के निजी सहायक/ विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी 2,3 एवं 9/ कम्प्यूटर कोषांग की सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव